

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 36/2023

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. श्री घनश्याम पुत्र दाउलाल जाति माहेश्वरी (भूतडा) निवासी पीपली के सामने हाई स्कूल रोड, बाड़मेर (मैसर्स दाऊलाल रामनारायण, बी-12 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर)
2. श्री दाऊलाल पुत्र रामनारायण भूतडा निवासी पीपली के सामने हाई स्कूल रोड, बाड़मेर (मैसर्स दाऊलाल रामनारायण, बी-12 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर)
3. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री दाऊलाल भूतडा निवासी हाई स्कूल के पास, बाड़मेर (मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, बी-11 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का मालिक)
4. श्री जितेन्द्र कुमार तनेजा पुत्र श्री आत्मप्रकाश निवासी मकान संख्या 59 वार्ड नंबर 10 भान्ति नगर हिसार, हरियाणा (मैसर्स रजत एन्टरप्राइजेज 5th किमी स्टोन तेजा मार्केट हाईवे होटल के पास सिरसा रोड़ हिसार का पार्टनर)
5. श्रीमती सोनू पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार तनेजा निवासी मकान संख्या 59 वार्ड नंबर 10 भान्ति नगर हिसार, हरियाणा (मैसर्स रजत एन्टरप्राइजेज 5th किमी स्टोन तेजा मार्केट हाईवे होटल के पास सिरसा रोड़ हिसार का पार्टनर)



परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम, 2006



*Handwritten signature/initials*

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 03.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स दाऊलाल रामनारायण, बी-12 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 21.10.2022 को खाद्य पदार्थ घी (हर्बल प्योर) 500-500 मिलीलीटर के 108 जार, 200मिलीलीटर के 450 जार एवं 15 किलोग्राम का एक पैकड टिन को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार घी (हर्बल प्योर) ( 15 किलोग्राम के पैकड टिन में) में से 800 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1769 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी (हर्बल प्योर) ( 15 किलोग्राम के पैकड टिन में) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (हर्बल प्योर) ( 15 किलोग्राम के पैकड टिन में) का नमूना अवमानक (Substandard) तथा **Contravenes Regulations No. 2.3.7(2) due to presence of foreign fat** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना-पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।



3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 15.02.2023 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार **Saponification Value** का मानक स्तर 205 to 235 के मुकाबले **239.19** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में खाद्य पदार्थ नमूने के अवमानक पाये जाने के प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- एवं अप्रार्थीगण संख्या 04 से 05 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/- जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर